

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि सं. २० १०/२०१८-१८

आयुक्त अंचल

दिनांक

आवेदिका श्रीमती बबना पति विपिन कुमार सिंह स० नं० १२ खाता नं० ०६ प्लॉट नं० १५३९ रकबा १० कट्टा ०५ छटाक ०६ वर्गफीट भूमि के हुए दाखिल खारिज में लिपकीय नूजपश वन्दना के स्थान पर वन्दना सिंह हो गया है जिसे सुधार हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस अका में राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक ४/३/१८ को रखें।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

अभिलेख उपरस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन समर्पित। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा कोलाकुशमा मौजा नं० १२, खाता नं० ०६, प्लॉट नं० १५३९ रकबा १० कट्टा ०५ छटाक ०६ वर्गफीट रैयती खाते की भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश स० ९२०(११) २०१३-१४ द्वारा होकर जमाबंदी नं० ५६२० में श्रीमति हनी सिंह पिता जितेन्द्र कुमार सिंह एवं पति श्री धमेन्द्र कुमार सिंह वों श्री बंदना पिता धुरन्धर सिंह एवं पति श्री विपिन कुमार सिंह के नाम से कायम है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय नूजपश वन्दना के स्थान पर वन्दना सिंह हो गया है जिसे राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने वन्दना सिंह के स्थान पर वन्दना करने हेतु अनुज्ञासा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा कोलाकुशमा मौजा नं० १२, खाता नं० ०६, प्लॉट नं० १५३९ रकबा १० कट्टा ०५ छटाक ०६ वर्गफीट के हुए दाखिल खारिज में वन्दना के स्थान पर वन्दना सिंह हो गया है जिसे वन्दना कायम जमाबंदी स० ५६२० में करने हेतु राजस्व कर्मचारी को निदेश दे। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

अंचल अधिकारी
धनबाद।


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापाक दिनांक

प्रेषित

श्री अशोक कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 02,
धनबाद अंचल, धनबाद।

आपके जांच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि कि मौजा कोलाकुसुमा मौजा नं० 12, खाता नं० 06, प्लॉट नं० 1539 रकबा 10 कट्टा 05 छटाक 06 वर्गफीट के हुए दाखिल खारिज में वन्दना के स्थान पर वन्दना सिंह हो गया है जिसे वन्दना सुधार करते हुए कायम जमाबंदी सं० 5620 में करें।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापाक दिनांक

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 02,
धनबाद अंचल, धनबाद।

आपके जांच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि कि मौजा कोलाकुसुमा मौजा नं० 12, खाता नं० 06, प्लॉट नं० 1539 रकबा 10 कट्टा 05 छटाक 06 वर्गफीट के हुए दाखिल खारिज में वन्दना के स्थान पर वन्दना सिंह हो गया है जिसे वन्दना सुधार करते हुए कायम जमाबंदी सं० 5620 में करें।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।

नाम - अंशुभा सिन्हा
 पिता - नाम सुधाकर के संबंध में कार्य प्रवर्धन
 महाशय

उपरोक्त विषय में जदवी के सहाय हैं कि अंशुभा
 मोना कुसुमा सौंदा 12 खाना 6 पनाए 1539 खाना 10 खाना
 5 खाना 6 वगीपीरं बैपरी खाने की तुमि हैं। विपरीत 10000
 से 0.00 920 (1) 2013. 14 के द्वारा होकर जगावेंदी सं. 5620
 में सीमति हनी सिंह पिता जितेंद्र कुं सिंह पति चमिन्द्र कुं सिंह
 (2) वन्दना सिंह पिता सुरेश सिंह पति विपीन कुं सिंह
 में नाम से जगावेंदी जामत हैं।

तुल्यता वन्दना में जगह वन्दना सिंह से नाम ले
 दा 0 खा 0 से 00 जगावेंदी जामत हैं।

अतः वन्दना सिंह में जगह पर वन्दना नाम
 सुधार करने की अनुशंसा की जाती है।

अंशुभा
 [Signature]

[Signature]
 पामा 18
 4

[Signature]

121

अध्यायकारि
नमः

विषयः दारुल उलूम एवं मालगुजारी खीद में सुधार के लिये
आवश्यक

06/06/19

निवेदन पूर्वक सुनिश्चित करना है कि दारुल उलूम (1952 दिनांक 13) के द्वारा श्रीमती रानी सिंह पिता अशोक कुमार सिंह पति अशोक कुमार सिंह एवं श्रीमती वन्दना पिता पुर-पारस पति विपिन कुमार सिंह के अगुआई में मंजूर 12 कोलायुक्त खेतों नं 86 प्लॉट 1539 (क) 10 अर्थात् 5 एकड़ 06 वर्ग मीटर खरीद किया है जिसका दारुल उलूम मुकदमा नं 920 (11) 12-13 के द्वारा मामला (दुआ) जिले में नं 4 श्रीमती वन्दना के बदले श्रीमती वन्दना सिंह होना चाहिए

अतः निवेदन है कि दारुल उलूम एवं मालगुजारी खीद में श्रीमती वन्दना सिंह के बदले सुधार करने हेतु श्रीमती वन्दना को नये की कृपा की जाए।

- अतः दारुल उलूम/आवश्यक
- ② दारुल उलूम (दुआ) मुकदमा नं 920 (11) 12-13
- ③ अशोक कुमार खीद एवं दारुल उलूम

आपका विश्वासी
वन्दना
+ वार नं 13/46 मोडा अलम
पनकास